उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-11

संख्या-586/एक-11-2022-4(जी)/2015

लखनऊ: दिनांक: 13/10/2022

अधिसूचना

भारत सरकार द्वारा राज्य आपदा मोचक निधि और राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि (2015-20) से व्यय के संबंध में मानक एवं दरों को निर्धारित करते हुये पत्र संख्या 32-7/ 2014-एनडीएम-प्रथम, दिनांक 08.04.2015 के बिन्दु संख्या-13 में निम्न व्यवस्था दी गयी है:-

Items	Norms of Assistance
State specific disasters within the local context in the State, which are not included in the notified list of disasters eligible for assistance from SDRF/NDRF, can be met from SDRF within the limit of 10% of the annual funds allocation of the SDRF.	• Expenditure is to be incurred from SDRF only (and not from NDRF), as assessed by the State Executive Committee (SEC). • The norm for various items will be the same as applicable to other notified natural disaster, as listed above. or • In these cases, the scale of relief assistance against each item for local disaster should not exceed the norms of SDRF. • The flexibility is to be applicable only after the State has formally listed the disasters for inclusion and notified transparent norms and guidelines with a clear procedure for identification of the beneficiaries for disaster relief for such local disasters, with the approval of SEC.

2- उक्त के अतिरिक्त 15वें वित्त आयोग की संस्तियों के क्रम में गृह मंत्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या 33-3/2021-एनडीएम-1 दि0 12.01.2022 द्वारा राज्य आपदा मोचक निधि और राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि 2021-22 से 2025-26 के लिए निर्गत गाइड लाइन के प्रस्तर-3.2 में भी निम्न व्यवस्था दी गयी है-

A State Government may use up to 10% fund of the annual allocation of the SDRF for providing immediate relief to the victims of natural disasters that they consider to be 'disasters' within the **loal context** in the State and which are not included in the notified list of disasters of the Ministry of Home Affairs (MHA) subject to the condition that the State Government has listed the State specific natural disasters and notified clear and transparent norms and guidelines for such disasters with the approval of the State Authority i.e. the State Executive Committee (SEC). Any amount spent by the State for such disasters over and above the ceiling would be borne out of its own resources and would be subject to the same accounting norms.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3. भारत सरकार द्वारा की गयी उक्त व्यवस्था के क्रम में प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या-303/एक-11-2016-04(जी)/2016 दिनांक 27-06-2016, यू0ओ0-20/एक-11-2018-04(जी)/2015 दिनांक 02-08-2018, 310/एक-11-2018-04(जी)/2015 दिनांक 10-08-2018, 393/एक-11-2018-04(जी)/16 दिनांक 17-10-2018 एवं 387/एक-11-2018-04(जी)/15 दिनांक 09-06-2021 द्वारा बेमौसम भारी वर्षा/अतिवृष्टि, आकाशीय विद्युत, आंधी तूफान, लू-प्रकोप, नाव दुर्घटना, सर्पदंश, सीवर सफाई एवं गैस रिसाव, बोरबेल में गिरने से होने वाली दुर्घटना, मानव वन्य-जीव द्वन्द्व तथा कुआं, नदी, झील, तालाब, पोखर, नहर, नाला, गड्ढा, जल प्रपात में डूब कर होने वाली मृत्यु को राज्य आपदा घोषित किया गया है।

4. शासन द्वारा घोषित उपर्युक्त आपदाओं के अतिरिक्त प्रदेश में सांड एवं वनरोज (नीलगाय) के आघात से होने वाली मृत्यु को राज्य आपदा घोषित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

5. उक्त घोषित राज्य आपदा के सम्बन्ध में होने वाला व्यय अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक ''2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-05-स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06- स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फण्ड से व्यय-09-राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु डिजास्टर रिस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय'' से वहन किया जायेगा।

(सुधीर गर्ग)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 586(1)/एक-11-2022 तददिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, भारत सरकार नई दिल्ली।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उ0प्र0 शासन।
4. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
5. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,सचिव, उ0प्र0 शासन।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
7. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
8. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5 उ0प्र0 शासन।

10. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त कार्यालय को राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट http://rahat.up.nic.in पर अपलोड कराने हेतु।

11. राजस्व अनुभाग-10

12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम केवल)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।